

छोटूराम आर्ट्स महाविद्यालय, योगीपात |



Established in 1951

Clause 3

COURSE CONTENTS

As decided mutually by both the parties from time to time. Further It is decided that the first Half of the course will be covered in college campus and remaining half will be covered at Hans Film's desired place.

Clause 4

VALIDITY

The validity of the agreement is Five year from the date of agreement. Both Parties may terminate this MOU upon 30 calendar days' notice in writing. In the event of Termination, both parties have to discharge their obligations.

Any dispute will be settled in the Sonepat Court only where the C R A College, Sonepat, is situated.



AGREED:


For CRA College Sonepat,
Authorized Signatory

Name of College : CRA College, Sonepat	Name of Institute : Hans Films, Sonipat
Address: West Ram Nagar Sonepat-131001	Address: #908, SEC-15, SONIPAT-131001
Contact Details: 9466704370	Contact Details : 09466513101
E-mails : crasonepat@gmail.com	E-mails : hansfilmsproductions@gmail.com
Web: www.cracollegesonepat.org	Youtube: Hans Films

Witness 1: _____
Witness 2: _____

For BATRA ELECTRIC STORE

Authorised Signatory

1



बतारा हैलैक्ट्रीक स्टोर, सोनीपत
के बीच
कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग के
लिए

समझौता ज्ञापन

4
For CRA COLLEGE
CHHOTU RAM COLLEGE
SONEPAT
Authorised Signatory

क) सामोक्षिक अध्ययन करने के अलावा बिजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव समस्या के समाधान के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान।

छ) वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी और संबंधित विशेषज्ञता-अर्थात् नवीनीतन प्रौद्योगिकी, विजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव करने का आदान-प्रदान।

घ) पारस्परिक रूप से स्थानार्थी उदयमों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से विजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव में परस्परिक व्यापार के आदान-प्रदान के बढ़ावा देना।

इ) याझा हित के विषयों पर सेमीनार, कार्यशाला व प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

च) पारस्परिक सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हो।

अनुच्छेद-3 प्रयोग

दोनों पक्षकार विकलालितिकर के लिये सहमत हुए हैं-

(क) पारस्परिक सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को परिभासित करना और कार्य योजनाएँ, संबंधित स्थीरम व परियोजनाएँ तैयार करना।

(ख) दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत अनुमोदित नियोजित सहयोग की स्थीरता के अनुपालन में सहयोग और आदान-प्रदान के दोनों की परियोजनाओं का विषादव करना।

अनुच्छेद-4: बोर्डिंग संपदा अधिकार

बोर्डिंग संपदा अधिकार से संबंधी युद्धे क्रिकेटिव प्रावधारों के अनुसार अधिशासित किए जाएंगे:

1. प्रत्येक पक्षकार अपने कारबूलों, नियमों व विविधर्मों जिनके प्रति दोनों पक्षकार वचनबद्ध हैं, के अनुसार समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सहयोग से युक्ति बोर्डिंग संपदा अधिकार का उत्तर रूप से संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

प्रकाशन :

समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सहयोग संचालित कार्यों से उद्भूत कोई भी प्रकाशन, दस्तावेज तथा कागजात For BATRA ELECTRIC STORE



Auth. Signatory



2

छोटूलाल आर्य महाविद्यालय, सोनपुर।

तथा

बत्ता इलैक्ट्रीक स्टोर, कामा भांजा चौक, सोनपुर।

के बीच

समझौता ज्ञापन

दिनांक 1 चूलाई 2019 को सोनीपत में हस्ताक्षर किए गए

इसमें छोटूलाल आर्य महाविद्यालय, सोनीपत द्वारा ज्ञापन और एतदशास्त्र इसे 'प्रथम पक्षकार' के रूप में कहा जाए और इसमें बत्ता इलैक्ट्रीक स्टोर, कामा भांजा चौक, सोनीपत द्वारा किया जाए और एतदप्रधान इसे 'द्वितीय पक्षकार' के रूप में कहा जाए।
इसमें दोनों पक्षकारों को संयुक्त रूप से 'दो पक्षकार' कहा जाए।

दोनों पक्षों के लिए विजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव का सहाय्य प्राप्त हुए तथा संयुक्त सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तत्व का चूजन करने तथा कौशल प्रशिक्षण क्षेत्रमें मैत्रीपूर्ण सहयोग और तकनीकी ज्ञान के आवाल-प्रवाल को बढ़ावा देने के लिए तथा समाजता, परास्परिकता और सम्प्रभाव के विकलालिति के अधार पर प्रारम्भिक प्रारम्भ के प्रवाल दोनों पक्षकार विकलालिति के लिए सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद-1 : इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

दोनों पक्षकारों का लक्ष्य अपने-अपने हितों के कौशल प्रशिक्षण के लिए सहयोग के लिए साझा ढंग तैयार करना है जिसमें विजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव का संबद्धन और विस्तार, आधुनिक पद्धतियों से विज्ञान, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्णाल शामिल है।

अनुच्छेद-2 सहयोग की संभावना

दोनों पक्ष विजली की पिण्डिंग, निपेचरिंग, एवं उत्तरस्थाव और इससे संबंधित विकलालिति क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमत हुए:
For BATRA ELECTRIC STORE
Chhotu Lal Singh College
Sonarpur
* * * * *
Auth. Signatory

हस्ताक्षर किए गए। निर्वचन में किसी प्रकार का विवाद होने पर



छोटू राम आर्य कालेज
सोनीपत

बताया इलेक्ट्रिक स्टोर,
सामान भाँजा चौक
सोनीपत

For BATRA ELECTRIC STORE

[Signature]

बताया इलेक्ट्रिक स्टोर,
सामान भाँजा चौक
सोनीपत

हिन्दी पाठ को ही प्रभारी साता जाएगा।

पर संयुक्त रूप से व्यक्तित्व होगा। किसी भी प्रकाशन दस्तावेज और अवधा कागजात से संबंधित वास्तवीकरण को ही प्रभारी समझियाँ के अधिकारिक प्रतीक के लिए देने पक्षकारों की पूर्ण अनुमति अपेक्षित है। तथापि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारिक प्रतीक तथा लोगों का दुरुपयोग न हो।

अनुच्छेद-5 अवधी एवं नवीनीकरण
यह समझौता ज्ञापन देनां पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की विधि से लागू होगा तथा यह पांच वर्षों के लिए लागू रहेगा। यदि दोनों पक्षकारों ने से एक भी पक्षकार अन्य पक्षकार को समझौता ज्ञापन के समान होने से काम से कम छ ताह पूर्व लिखित नोटिस नहीं देता है तो यह समझौता ज्ञापन द्वारा ही अगले पांच वर्षों के लिए पुनः नवीनीकृत हो जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने से बाकी योजनाओं व परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा अथवा उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-6 रखांत्रता

दोनों ने से कोई भी पक्षकार संगठनात्मक तथा कानूनी तीर पर अपने कार्य तथा रखांत्रता को बताये रखेगा।

अनुच्छेद-7 विवार्ता का निपटन

इस समझौता ज्ञापन के लिए किसी भी प्रतिवान के लिए अथवा कार्यालय से उद्भूत किसी भी विवाद के पक्षकारों द्वारा बातचीत अथवा परामर्श के कानून से विपरित जाएगा।

अनुच्छेद-8 संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन दोनों पक्षकारों द्वारा पूर्व लिखित समझौते के अवधीन होगा व समझौता ज्ञापन को जारी करने के लिए उपयोग किए गए तरीके के अनुसार लागू किया जाएगा। संशोधन अथवा परिवर्तन करने का इकुल पक्ष अपनी इच्छा को लिखित राख्यम से व्यवस्था करेगा।



For BATRA ELECTRIC STORE

[Signature]

4

5

For BATRA ELECTRIC STORE

[Signature]